प्रारुप–11

परियोजना का नामः– टी0 एस0 पी0 के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या 90/2019 के अंन्तर्गत – जनपद देहरादून के विकासखण्ड व विधान सभा क्षेत्र –चकराता के तहसील त्यूनी मे डागूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग पर विस्तृत आख्या।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 90/2019 के तहत शासनादेश संख्या– 2076(1)/।।।(2)20–।।/(प्रा.आ.)2018 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 16 नवम्बर 2020 के तहत **टी0 एस0 पी0 के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या 90/2019 के अंन्तर्गत – जनपद देहरादून के विकासखण्ड व विधान सभा क्षेत्र –चकराता के तहसील त्यूनी मे डागूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति** हेतु रू0 29.97 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। यह मोटर मार्ग कथियान डागूठा मोटर मार्ग के (कि0मी0 07) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल मुण्डाली मे वन विभाग के मोटर मार्ग से जुडता है उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु समरेखण के अन्तर्गत राजस्व ग्राम डांगुठा व छजाड हरटाड (लोकाड खेडा) की भूमि अर्जित की जायेगी। जिसका विवरण निम्नवत् है।

आरक्षित वन भूमि	**:– 7.8675 है0**
वन पंचायत भूमि	**:– 0.000 है0**
सिविल एवम सोयम भूमि	**:– 0.000 है0**
निजी/ नाप भूमि	**:– 1.0075 है0**
योग	**:– 8.875 है0**

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि में 8325 मीटर लम्बाई + 250 मी0 लम्बाई (मक डिस्पोजल हेतु), वन पंचायत भूमि 000 मी0, सिविल एवम सोयम भूमि 000 मी0, तथा नाप भूमि 675 मी0 लम्बाई + 200 मी0 (मक डिस्पोजल हेतु), जो कि 9.00 मी0 चौड़ाई में अर्जित की जानी है, व 7.00 मी0 चौडाई मे प्रभावित होगी व मलवा डमपिंग हेतु आरक्षित वन भुमि मे 50मी0 लम्बाई व 15मी0 चौडाई के 5 स्थल चयनित किये गये है। जिसमे 0.375 है0 भूमि, व नाप भूमि 50मी0 लम्बाई व 20 मी0 चौडाई के 4 स्थल चयनित किये गये है। जिसमे 0.375 है0 भूमि अर्जित की जायेगी। वर्तमान में केवल 7.8675 हैक्टेयर बनभूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता को हस्तान्तरण किये जाने के लिये यह प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम हैं। अन्य वैकल्पिक समरेखण की सम्भावना नही हैं। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया आख्या संलग्न हैं।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से 1413 की जनसंख्या लाभान्वित होगी, इस मोटर मार्ग के निर्माण से राजस्व ग्राम छजाड हरटाड, का (खेडा लोकाड) पटीयूड व डागुठा इस मोटर मार्ग से जुड कर लाभान्वित हो जायेगें और नगदी फसलों को बाजार तक विपणन करने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी। और इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन संम्पदा की देख–रेख हेतु व यातायात की सुगम सुविधा होगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मार्ग का समरेखण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि राजस्व ग्राम डागुठा छजाड हरटाड, का (खेडा लोकाड) व पटीयूड का (खेडा सुग्राणी)प्रस्तावित मोटर मार्ग से जुड़ जायेंगी एवं मानक के अनुरूप न्यूनतम वनभूमि उपयोग में लाई जायेंगी जिससे कम वृक्ष एवं फसलें प्रभावित होंगी।

अतः जनपद देहरादून के विकासखण्ड व विधान सभा क्षेत्र –चकराता के तहसील त्यूनी मे डागूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 7.8675 है0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग चकराता को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
चकराता।

(इं0 एम0एस0 बेडवाल)
अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
चकराता।